प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–05.05.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–06 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04. 05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. भुशैली पुत्र पांचू नि0 मलारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–147/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. गुड्डू पुत्र राम किशुन नि0 मोहनापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–174/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. भोला पुत्र किशोरी नि0 सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–110/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

240 अप्रासेफ की गोलियां (मादक पदार्थ) बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–
गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त अवधेश वर्मा पुत्र गिरवर प्रसाद वर्मा नि0 नकटी मौजा करमडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–333/19, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 चन्द्रप्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर की सूचना मिली 01 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लिये माल गोदाम के पीछे खड़ा है और कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 चन्द्रप्रताप सिंह मय हमराह के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पहॅुचकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 अप्रासेफ की गोलियां बरामद कर थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आचार–संहिता के उल्लंघन में 01 अभियुक्त गिरफ्तार–
गोण्डा। नवाबगंज पुलिस द्वारा आचार–संहिता का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त–रामनाथ भारती पुत्र मंगरे प्रसाद निवासी जलालपुर थाना नवाबगंज को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0–136/19, धारा 171ई.504.506 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्त के साथ गठबन्धन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार–प्रसार व वोट देने के लिये पैसे का लालच देते समय वादी भारत गौतम पुत्र भगोले निवासी बनगॉव थाना तरबगंज के द्वारा मना करने पर उक्त अभियुक्त द्वारा वादी को गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार का माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।